



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-36-अ0प्र0-07/पाकालि/18-42-अ0प्र0-07/17

दिनांक 03/01/2018

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर, दिनांक 18.10.2017 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में प्रतिबन्धाधीन चयनित किये गये प्रकरणों में से श्री अतर सिंह (वरि0क्र0-9130) एवं श्री राम सरन (वरि0क्र0-9241) पर लगाये गये प्रतिबन्ध को मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) के पत्रांक-1505/अनु0-प्रथम/2017, दिनांक 18.12.2017 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर, प्रतिबन्ध पूर्ण होने के दृष्टिगत उन्हें उनके आसन्न कनिष्ठ के प्रोन्नति आदेश विषयक कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0-4646-अ0प्र0-07/पाकालि/17, दिनांक 24.10.2017 की निर्गमन की तिथि से अर्थात् 24.10.2017 से ही इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम ट्रेड/जन्मतिथि/वर्ग/गृह जनपद/वरि0क्र0 सर्वश्री	अवर अभियन्ता पद पर वर्तमान तैनाती स्थल	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पश्चात् आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	2	3	4	5
वैद्युत एवं यांत्रिक- 40% कोटा				
1	अतर सिंह/राज नारायण सिंह इण्टर/24.01.1958/सामान्य/ लखनऊ/9130	अनु0इकाई शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।	निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन से सम्बद्ध,	2017433
2	राम सरन/दिलीप सिंह वि0/01.01.1960/ बुलन्दशहर/9241	वि0वि0खंड- मवाना, मेरठ	पश्चिमांचल	2017434

2. "यह प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0-60876/2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।"
3. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :-

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
- (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
- (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

Signature

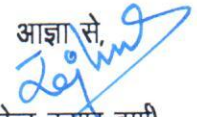
4. अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती आदेश वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही जारी किये जायें।
5. उक्त प्रोन्नत अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से **एक माह के भीतर** अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। **एक माह के भीतर** कार्यभार ग्रहण न करने वाले उक्त अवर अभियन्ता के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
6. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती उ०प्र०पा०का०लि० में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं०-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्रोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
8. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :- 36-अ०प्र०-07/पाकालि/2018/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप सचिव (अ०प्र०-03/04/गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अनुभाग अधिकारी (अ०प्र०-03/04), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
14. संबंधित अधिकारीगण।
15. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

 (राजेन्द्र कुमार वर्मा)
 उप-सचिव (07)